कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1947/305/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 18/09/2018

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
म.प्र.।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 एंव 2018–19 में स्वीकृत अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने विषयक।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 1603/305/अनु–ब/18 दिनांक 07.8.18, 24.08.18

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आपके जिले में संचालित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017–18 एंव वर्तमान सत्र में वेतन–भत्तों, छठवें वेतनमान के ऐरियर्स की किश्त, वरिष्ठ/प्रवर/चतुर्थ पे–बैंड के ऐरियर्स, समयमान/कमोन्नति के एरियर्स आदि से संबंधित आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालयवार एकजाई रूप से तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है।

इसी प्रकार तृतीय त्रैमास के वेतन–भत्तों के लिए जारी स्वीकृति आदेश कमांक 1748/41/अनु–ब/18 दिनांक 05.09.18 में अंकित नोट में भी निर्देशित किया गया था कि उपरोक्तानुसार **आवंटित राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालयवार एकजाई कर विशेष वाहक के हस्ते 03 दिवस में उपलब्ध करावें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित डी.डी.ओ. को राशि इस कार्यालय द्वारा अपलोड की जावेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने पर वेतन–भत्ते में विलंब के लिए संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. एंव प्राचार्य, अशासकीय महावि. दोनो ही पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।**

उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् भी आज दिनांक तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त हैं, जो कि शासन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना है। यदि किसी भी अनुदान प्राप्त महावि. में विषम परिस्थिति निर्मित होती है तो इसके लिए संबंधित जिले के **शासकीय अग्रणी महावि. का प्राचार्य, एंव संबंधित अशासकीय महावि. का प्राचार्य दोनो ही पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।**

कृपया वांछित जानकारी **<u>अविलंब विशेष वाहक के हस्ते</u>** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. सुषमा दुबे) 18/9
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

नोट :– अशासकीय अनुदानित महावि. इस कार्यालय को सीधे जानकारी प्रेषित न करें।